

महत्वपूर्ण/आवश्यक
संख्या- 328/एक-11-2021

प्रेषक,
राम केवल
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-11

लखनऊ : दिनांक : 04 मई, 2021

विषय:- कोविड-19 की द्वितीय लहर के कारण घोषित लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु जारी किए जाने वाले ई-पास हेतु जनपदों द्वारा नामित नोडल अधिकारियों की सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

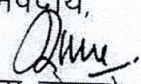
महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में राजस्व-11 के शासनादेश संख्या-326/एक-11-2021, दिनांक 03.05.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से कोविड-19 की द्वितीय लहर के कारण घोषित लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु आनलाइन ई-पास जारी करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपदों द्वारा कोविड-19 की द्वितीय लहर के कारण घोषित लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु जारी किए जाने वाले ई-पास हेतु नामित नोडल अधिकारियों की सूचना राहत आयुक्त कार्यालय के ई-मेल rahat@nic.in पर दिनांक-05-05-2021 तक उपलब्ध कराते हुए गूगल-शीट पर फीड कराने का कष्ट करें। गूगल-शीट का लिंक निम्नवत् है-

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fdYynzUJ0V0QU5IctA6PSmT7kC6bhaWUMTTESg4Yzn8/edit?usp=sharing>

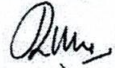
संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

संख्या- (1)/एक-11-2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग उ०प्र० शासन।
2. राहत आयुक्त, उ०प्र०।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।